INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVT.OF BIHAR UNDERTAKING)
1st Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna.
Email- md@idabihar.com Website-www.idabihar.com, Phone : 0612 - 2675933, 2675935, Fax- 2675934

नियुक्ति हेतु विज्ञापन – 09/Notice/IDA/21

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई0डी0ए0), बिहार सरकार का एक उपक्रम है। प्राधिकार का मुख्यालय पटना में अवस्थित है। आई0डी0ए0 बिहार राज्य के आधारभूत संरचना के विकास यथा सड़कों, भवनों, स्वास्थ्य, सिचाई, जल प्रबंधन हेतु संकल्पित है। आई0डी0ए0 जन निजी साझेदारी (पी0पी0पी0) हेतु राज्य सरकार की एक नोडल एजेंसी है।

आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार निम्न पदों के लिए प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर आवेदन आमंत्रित करता है:–

Sl. No.	Name of the Post	Category wise no. of posts	Remuneration per month ₹	Qualification
1.	Director (Program Implementation)	UR - 01	As per scale	(Serving/Retired) Superintending Engineer or above rank officers of Bihar Govt./GOI/PSU with minimum 12 years experience.
2.	Director (Finance)	UR - 01	As per scale	(Serving/Retired) Officers of IAAS/BFS/BAS with 12 years Experience.
3.	* Executive Engineer (Civil/Electrical)	UR (L) – 01 EBC - 01	₹ 60,000/-	B.Tech/BE (Civil/Electrical) with at least 10 years of experience.

सामान्य निर्देश :–

1. आवेदित पद का नाम लिफाफे के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए।
2. अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी जो बाद में बढ़ायी भी जा सकती है।
3. अनुबन्ध पारिश्रमिक सभी भत्ते (15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता) सहित है।
4. सभी पद व्यवसाय निषेध (नन प्रैक्टिशिंग) है।
5. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समर्थित बाह्य परियोजनाओं पर कार्य किए हुए व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. भारत सरकार/बिहार सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अभ्यर्थियों को वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता भारत सरकार/बिहार सरकार के नियम के तहत दी जायगी। ऐसे आवेदको को आवेदन के साथ विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।
7. प्रतिनियुक्ति को छोड़कर उक्त पद के लिए दिनांक 30.04.2021 को अधिकतम आयु 50 वर्ष एवं सेवा निवृत्त कर्मियों के लिए अधिकतम आयु 64 वर्ष है।
8. * क्रमांक 3 पर अंकित पद की नियुक्ति विभाग से रोस्टर के अनुमति के पश्चात् की जायगी।
9. सेवा निवृत उम्मीदवारों को बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत अंतिम प्राप्त वेतन से पेंशन राशि घटाकर मासिक पारिश्रमिक के रूप में देय होगा।
10. आवश्यकता अनुसार एक से अधिक रिक्तियाँ होने पर बिहार सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।
11. चयनित उम्मीदवार बिहार के किसी भी हिस्से अथवा बिहार के बाहर भी पदस्थापित किये जा सकते है।
12. आवेदन प्रपत्र का प्रारूप www.idabihar.com से प्राप्त किया जा सकता है।
13. आवेदन पत्र, दो फोटोग्राफ, ई–मेल, पी0पी0ओ0, स्व–अभिप्रमाणित योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्रों एवं ₹200/- **का बैंक ड्राफ्ट** जो **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना** (INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY, PATNA) के नाम पर, पटना में देय हो, के साथ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा **आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना– 800 004** के पते पर **दिनांक 15.05.2021 को 5:00 बजे अपराह्न** तक पहुँच जाना चाहिए।
14. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ देना अनिवार्य होगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है।
15. अपूर्ण आवेदन पत्र एवं आवेदन जिनमें आकड़े पूर्ण न हो अथवा आयु/योग्यता/अनुभव/जाति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न न हो तथा अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न न हो तो वैसे आवेदन को प्राधिकार रद्द करने हेतु सक्षम है।
16. आई0डी0ए0 के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई सूचना दिये रद्द करने का अधिकार है। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।
17. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पटना होगा।

15.4.21

वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी